Email

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांकःएफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/ 6610 दिनांकः– 10/8/2023

प्रधानाचार्य,
राजकीय सह–शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत **प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार** के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1(23)त.शि./2014 दिनांक 08.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि शिक्षा सत्र 2022–23 में निदेशालय के समसंख्यक पत्र कमांक 8933 एवं 8930 दिनांक 30.08.2022 द्वारा राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवक्ता, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त के संबंध में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमांकः प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र कमांक प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को प्रतिस्थापित किया गया है।

अतः वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 07.08.2023 की प्रति संलग्न कर लेख है कि इस परिपत्र एवं विगत शिक्षा सत्र 2022–23 के लिए निदेशालय द्वारा जारी उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत नियमित स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु शिक्षा सत्र 2023–24 के लिए कार्यवाही करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(आलोक बंसल)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांकःएफ–8(1–ए) प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.08.2023 के कम में ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।

Signature valid
Digitally signed by Alok Bansal
Designation : Joint Director
Date: 2023.08.10 17:35:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4487526

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/सावित्लेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 07.08.2023

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (2) वित्त/सावित्लेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 के बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :–

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	18 घंटे
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	18 घंटे
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	18 घंटे
अनुदेशक	–	300/–	18 घंटे
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	18 घंटे

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम साप्ताहिक घंटे
सहायक आचार्य	800/–	14 घंटे
सह आचार्य	1000/–	13 घंटे
आचार्य	1200/–	12 घंटे

(अ) पाठ्यक्रम पूर्ण करवाये जाने की अवधि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निर्धारित की जा सकेगी।

.......2

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) 302005
Phone : 0141-2227921 website : www.finance.rajasthan.gov.in e-mail : jsfgt@rajasthan.gov.in

(ब) प्रति सप्ताह लिये जाने वाले अधिकतम कालांश की सीमा निर्धारित की गयी है। प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर इससे कम कालांश में भी पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सकता है।

(स) प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जावे, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अन्त में जितने कालांश कार्य किया है (50 कालांश से कम होने की स्थिति में) उतने कालांश का भुगतान भी किया जावे।''

पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त । 7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी समस्त ।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
10. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश / परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प. 17 (1) वित्त (समन्वय) / 04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - ०४/ 2023)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) 302005
Phone : 0141-2227921 website : www.finance.rajasthan.gov.in e-mail : jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-Circular w.e.f. 04.05.2023